MR. CHAIRMAN: Question No 210. Mr. N.E. Balaram.

**Directions to Banks for Grant of Loans**

*210. SHRI N.E. BALARAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state.

(a) the details of guidelines issued by Government to nationalised and other commercial banks regarding grant of loans against pledge of shares, debentures and other securities,

(b) the details of varying rates of interests to be charged from prospective borrowers based on the quantum of such loans as well as varying margins to be kept on such shares and debentures;

(c) the details of terms-conditions and other formalities to be fulfiled/completed by such borrowers;

(d) whether Government propose to soften the terms and conditions as in (c) above and the rates of interest to be charged from such borrowers seeking loans of small amount between Rs. 50,000 to 1,00,000/-; and

(e) the name of banks and their branches in Delhi granting such loans at present?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद)**: (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

## विवरण

**ऋण प्रदान करने के लिये बैंकों को दिये गये निर्देश**

(क) से (ङ): भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (जिनमें दिल्ली में स्थित बैंक भी शामिल हैं) को शेयरों/डिबेंचरों पर अग्रिम मंजूर करने के बारे में 1986 में विस्तृत संशोधित मार्ग-निर्देश जारी किए थे। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर इन मार्ग निर्देशों की पुनरीक्षा की गयी थी और उनमें संशोधन किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक के समय-समय पर संशोधित मार्गनिर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें अनुबंध में दी गयी हैं (नीचे देखिये) उधारकर्ताओं द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें उधारदाता बैंकों द्वारा तय की जाती हैं जो प्रत्येक बैंक के मामले में अलग-अलग होती हैं। शेयरों और डिबेंचरों/बाण्डों पर बैंकों द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर तय करने के लिये बैंक स्वतंत्र हैं। शेयरों और डिबेंचरों पर अलग-अलग व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋणों पर न्यूनतम मार्जिन को 8 अप्रैल, 1993 से 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

## अनुबन्ध

**शेयरों/डिबेंचरों के बदले अग्रिम देने के मामले में बैंकों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों की मुख्य-मुख्य विशेषतायें**

1. बैंकों को अग्रिमों के स्वरूप, प्रयोजन और आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक वित्त सट्टे बाजी के लिए इस्तेमाल न हो।

2. बैंक को मंजूरी से पहले का मूल्यांकन और मंजूरी के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई की सामान्य कार्रवाई करनी होगी।

3. शेयरों के लिए दिए गए अग्रिमों को अलग रखा जाना है तथा उन्हें अन्य अग्रिमों के साथ नहीं जोड़ा जाना है।

4. व्यक्तियों के मामले में शेयरों के विद्यमान बाजार मूल्य के आधार पर पर्याप्त मार्जिन रखा जाना चाहिए। न्यूनतम मार्जिन 50% है।

5. बैंकों को इस बात को सुनिश्चित करना है कि किसी एक उधारकर्ता या उधारकर्ताओं के ग्रुप द्वारा शेयरों के एक बड़े ग्रुप के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों की रकम का किसी कम्पनी के नियंत्रक हित का अधिग्रहण करने या अन्तर कार्पोरेट निवेशों को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल न किया जाए।

6. बैंकों यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी एक ही उधारकर्ता/ग्रुप द्वारा शेयरों/डिबेंचरों के लिए मल्टीपल उधार प्राप्त न किया जाए ।

7. शेयरों के लिए 5 लाख से अधिक के अग्रिमों को केवल निदेशकों के बोर्ड/समिति के अनुमोदन से मंजूर किया जाए ।

8. कारपोरेट उधारकर्ता शेयरों की प्राईमरी प्रतिभूति के लिए अग्रिमों के पात्र नहीं हैं ।

9. व्यक्तिगत उधारकर्ता आकस्मिक खर्चों और व्यक्तिगत उद्यमों की जरूरतों, शेयरों के नये निर्गमों में अंशदान करने और साथ ही गौण बाजार में शेयरों की खरीद के लिए 5 लाख रुपए तक के शेयरों के लिए अग्रिमों के पात्र हैं ।

10. न्यासों/धर्मार्थों (इन्डोमेंट्स) को नये निवेश/अधिकार निर्गमों (राइट इश्यू) के लिये शेयरों/डिबेंचरों के एवज में अधिक से अधिक नौ महीनों के लिए अग्रिम दिए जा सकते हैं ।

11. बैंक अपने कर्मचारियों को अपनी कम्पनियों के शेयरों की खरीद के लिए वित्त प्रदान कर सकते हैं ।

SHRI N. E. BALARAM: Sir, according to the reply given by the Minister, the Government of India has already issued directives or guidelines to the nationalised and other banks and that they have been revising the guidelines from time to time. Some of the important guidelines have been mentioned in the reply. But I would like to ask the honourable Minister whether the guidelines are being monitored or being taken care of by the Reserve Bank of India from time to time. I am asking this because, according to the guidelines given to me in the reply, the banks are required to help the borrowers depending upon the nature and purpose of and the need for advances ensuring that the bank finance is not utilised for speculative purposes. But the bank finances are utilised only for speculative purposes. So, I would like to ask the honourable Minister whether the Reserve Bank of India was properly monitoring the whole thing.

डा० अबरार अहमद : सर, रिजर्व बैंक जितने भी दिशा-निर्देश जारी करता है, उस पर रिजर्व बैंक स्वयं निगरानी रखता है और माननीय सदस्य ने स्पेकुलेशन के बारे में जो बात कही तो इस प्रकार का ऋण स्पेकुलेशन के लिए नहीं दिया जाता है ।

SHR. N. E. BALARAM: Sir, according to the newspaper reports, which appeared some three weeks ago, some corporate sector institutions have taken money from the banks and they were utilised for speculative purposes. Did not this news item come to the notice of the Government or the Finance Ministry?

डा० अबरार अहमद : सर, माननीय सदस्य के पास कोई अलग से इंडीविजुअल शिकायत हो तो वह दे सकते हैं, मैं उसको देख लूंगा ।

SHRI N. E. BALARAM: Sir, I do not want to mention the name. It appeared in the "Economic Times" three weeks ago. It is reported that some corporate sector have taken money from the banks. I do not want to mention that particular Company because their representatives are not here. But did it not come to the notice of the Finance Minister when such a news item appeared?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

SHRI S. JAIPAL REDDY: It has provided a great relief to the Finance Minister.

MR. CHAIRMAN: You got a lot of Finance Minister this morning.